न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12 / 2024

प्रविष्टि दिनांक 30.09.2024

जरिये रामभजन मीना प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

– प्रार्थी

बनाम

मै0 पकंज जैन मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स कॉर्नर अलीगढ उनियारा जिला टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक 28.11.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु अलीगढ (उनियारा) में मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स कॉर्नर अलीगढ (उनियारा) जिला टोंक पहुॅचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री पंकज जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था।घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय गैस चुल्हा एवं रबर पाईप एवं रेगूलेटर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1	265166	H.P.	14.2	15.7	20.0	4.3
2	865226	H.P.	14.2	15.8	17.0	1.2
						5.5

अतःउक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 5.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 24.09.2024 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जॉच हेतु अलीगढ (उनियारा) में मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स कॉर्नर अलीगढ (उनियारा) जिला टोंक पहुॅचें। मौके पर व्यवसाय स्थल की जॉच/तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री पंकज जैन द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से मिठाई बनाने में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये जिनमें से एक सिलेण्डर रेगुलेटर एवं गैस चूल्हा के माध्यम से अवैध रूप से मिठाई बनाने में ईधन के रूप में मौके पर काम में लिया जा रहा था।घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर मय गैस चुल्हा एवं रबर पाईप एवं रेगूलेटर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।श्री पंकज जैन द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण एवं दुरूपयोग किया जाना पाया गया। उक्त सिलेण्डर बाबत् कोई साक्ष्य/दस्तावेज व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। अतः 2 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु गौमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री विष्णु सिंह निवासी वार्ड संख्या 10 खातोली गेट पुजारीयों का मोहल्ला उनियारा की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहॉ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। श्री पंकज जैन द्वारा

जिला कलेक्टर
टोंक

एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है।अतः उक्त जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 5.5 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 24.09.2024 के अनुसार मै0 पकंज जैन मैसर्स पार्श्वनाथ स्वीट्स कॉर्नर अलीगढ उनियारा जिला टोंक की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर मिठाई बनाये जा रही थी। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र.स.	एस.आर. नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1	265166	H.P.	14.2	15.7	20.0	4.3
2	865226	H.P.	14.2	15.8	17.0	1.2
						5.5

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर होटल/दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर पंकज विष्णुसिंह तथा दिलखुश के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी पंकज विष्णुसिंह तथा दिलखुश के हस्ताक्षर है तथा गौमती सुधा गैस एजेन्सी उनियारा के प्रतिनिधि श्री विष्णुसिंह के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय-समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से मिठाई बनाने का कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 5.5 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)